Daily Current Affairs

विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों

- हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 ऑस्ट्रिया के वियना में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा जारी की गई। यह 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु

- **लगातार जारी है तस्करी:** रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दो दशकों की ठोस कार्रवाई के बावजूद दुनिया भर में वन्यजीव तस्करी जारी है।

- साथ ही रिपोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्रोत से अंतिम बाज़ार तक तस्करी को चलाने वाले कारक अलग-अलग अवैध वन्यजीव वस्तु क्षेत्रों के बीच काफी भिन्न होते हैं।

- **सर्वाधिक प्रभावित वन्य जीव व पौधे:** गैंडा, पैंगोलिन और हाथी तीन जानवरों की तस्करी बाजार में सर्वाधिक मांग है। इनके अतिरिक्त प्रभावित प्रजातियों में ईल, मगरमच्छ, तोते, कछुए, सांप, समुद्री घोड़े और विभिन्न छोटे अन्य जानवर शामिल हैं।

- साथ ही पौधों में देवदार, शीशम और रोज़वुड्स की तस्कर मांग सर्वाधिक बताई गयी है, अन्य प्रभावित पौधों की प्रजातियों में गोल्डन चिकन फ़र्न, ऑर्किड और अन्य शामिल हैं।

- **भारतीय परिदृश्य:** भारत में अवैध व्यापार में बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि जीवित जानवरों, विशेषकर पालतू जानवरों के रूप में विदेशी जानवरों की मांग बढ़ रही है।

- **भ्रष्टाचार और प्रौद्योगिकी की भूमिका**: भ्रष्टाचार विनियमन और प्रवर्तन को कमजोर करता है जबकि प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए तस्करों की क्षमता को बढ़ाती है। इस तरह के व्यापार में इंटरनेट के उपयोग से, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर शिक्षित लोगों की भागीदारी बढ़ रही है।

विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में

- यह 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है।
- यह वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार के रुझानों पर एक अद्यतन फोकस प्रदान करता है।
- इस रिपोर्ट में जब्ती डेटा वर्ष 2015-2021 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग 4,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया है - जिनमें से 3,250 CITES की परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं।
- रिपोर्ट में डेटा काफी हद तक उपलब्ध राष्ट्रीय वार्षिक अवैध व्यापार रिपोर्ट से लिया गया है, जिसे CITES पार्टियों को हर साल प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- गौरतलब है कि इस संस्करण में, वैश्विक स्तर पर वन्यजीव तस्करी और संबंधित अपराध के कारणों और प्रभावों के आकलन पर काफी जोर दिया गया है।

नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC):

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के रूप में नामित किया गया था।
- इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम (UNDCP) तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग (Crime Prevention and Criminal Justice Division-CPCJD) के संयोजन में की गई थी।
- **वित्तपोषण**: सरकारों से स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर।
- **मुख्यालय**: वियना, ऑस्ट्रिया
- **कार्य:**
    - विशिष्ट अंतराल के दौरान विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी करना।
    - यह दुनिया भर में लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करना।
    - अवैध दवा उत्पादन और तस्करी तथा नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को मजबूत करना।
    - यह कानून के शासन को मजबूत करने, स्थिर और व्यवहार्य आपराधिक न्याय प्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए अपराध की रोकथाम में सुधार और आपराधिक न्याय सुधार में सहायता करना।

वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):

- CITES, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें वर्तमान में 184 सदस्य हैं, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये खतरे में न डाला जाए।
- इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ और भारत वर्ष 1976 में 25वाँ भागीदार देश बन गया।
- वे देश जो CITES में शामिल होने के लिये सहमत हुए हैं, उन्हें पार्टियों के रूप में जाना जाता है।
- यद्यपि CITES पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिये कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता।
- CITES के तहत आने वाली प्रजातियों के सभी आयात-निर्यात और पुन: निर्यात को परमिट प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिये।

इसके तीन परिशिष्ट सूचियां हैं:

परिशिष्ट-I:

- इसमें वे प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं जो CITES द्वारा सूचीबद्ध वन्यजीवों एवं पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति में हैं।
- उदाहरणत: इसमें गोरिल्ला, समुद्री कछुए, अधिकांश ऑर्किड प्रजातियाँ एवं विशाल पांडा शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 1082 प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं।
- इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है एवं CITES इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सिवाय जब इसके आयात का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये किया जाता हो।

परिशिष्ट II:

- इसमें ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती हैं।
- इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियाँ हैं: अमेरिकी जिनसेंग, पैडलफिश, शेर, अमेरिकी मगरमच्छ, महोगनी एवं कई प्रवाल शामिल हैं। वर्तमान में 34,419 प्रजातियाँ इसमें सूचीबद्ध हैं।
- इसमें तथाकथित 'एक जैसी दिखने वाली प्रजातियाँ (look-alike species)' भी शामिल हैं अर्थात् ऐसी प्रजातियाँ जो एक समान दिखती हैं उन्हें व्यापार संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध किया गया है।

परिशिष्ट III:

- यह उन प्रजातियों की सूची है जिन्हें किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया जाता है, जिनका व्यापार पक्षकार द्वारा पहले से ही विनियमित किया जा रहा है तथा शामिल की गई प्रजातियों के अधारणीय एवं अत्यधिक दोहन रोकने के लिये दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता है।

- इनमें मैप टर्टल, वालरस और केप स्टैग बीटल शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 211 प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं।

- इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को केवल उपयुक्त परमिट या प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर ही अनुमति प्रदान की जाती है।

- प्रजातियों को केवल पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा परिशिष्ट I और II में शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है अथवा उनके मध्य स्थानांतरित किया जा सकता है।

भारत में वन्यजीवों के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने "वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण" के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।

- संविधान के अनुच्छेद 51 A (G) के अनुसार वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48ए के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:

यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था।

इस अधिनियम के तहत विभिन्न पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को निम्नलिखित छह अनुसूचियों के तहत विभाजित किया गया है:

- अनुसूची I: इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है।

    - अनुसूची I के तहत निम्नलिखित जानवर शामिल हैं: ब्लैक बक, बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू, एशियाई चीता, कश्मीरी हिरण, लायन-टेल्ड मैकाक, कस्तूरी मृग, गैंडा, चिंकारा, गोल्डन लंगूर, हूलॉक गिब्बन आदि।

- अनुसूची II: इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिये उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं।

    - अनुसूची II के तहत सूचीबद्ध जानवरों में शामिल हैं: असमिया मैकाक, पिग टेल्ड मैकाक, स्टंप टेल्ड मैकाक, हिमालयन ब्लैक बियर, सियार, स्पर्म व्हेल, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा आदि।

- अनुसूची III और IV: जानवरों की वे प्रजातियाँ, जो संकटग्रस्त नहीं हैं उन्हें अनुसूची III और IV के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिये दंड पहली दो अनुसूचियों की तुलना में कम है।

    - अनुसूची III के तहत संरक्षित जानवरों में शामिल हैं: चित्तीदार हिरण, नीली भेड़, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर (हिरण), स्पंज

    - अनुसूची IV के तहत संरक्षित जानवरों में शामिल हैं: राजहंस, खरगोश, फाल्कन, किंगफिशर, नीलकण्ठ पक्षी

- अनुसूची V: इस अनुसूची में जानवर शामिल हैं: छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं और पौधों तथा भोजन को नष्ट करते हैं, इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है।

    - इसमें जंगली जानवरों की केवल चार प्रजातियाँ शामिल हैं: कौवे, फ्रूट्स बैट्स, मूषक, चूहा

- अनुसूची VI: यह निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्ज़े, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है। निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है।

    - अनुसूची VI के तहत संरक्षित पौधों में शामिल हैं: साइकस बेडडोमि, रेड वांडा (रेड ऑर्किड), स्लीपर ऑर्किड, पिचर प्लांट (नेपेंथेस खासियाना) आदि।

Result Mitra